भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3321
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल आपूर्ति योजनाओं से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दे

3321. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्तीय और प्रशासनिक बाधाएं प्रमुख जलापूर्ति और जल संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधि की राज्य-वार स्थिति क्या है;
(ग) क्या प्रभावी निष्पादन के लिए राज्य और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत क्षमता पर्याप्त है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(घ) इन योजनाओं के समन्वय, निगरानी और वित्तीय अनुशासन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और
(ङ) क्या दावणगेरे जिले को कवर करने वाली जल-संबंधी परियोजनाओं में किसी वित्तीय या प्रशासनिक मुद्दे की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): भारत सरकार अपनी प्रमुख पहल, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के माध्यम से देश के जल परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन ला रही है। भारत सरकार, अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए इन योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और रखरखाव का प्रचालनात्मक भार राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों पर है, जबकि केंद्र पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के तहत जारी और उपयोग की गई निधि की राज्य-वार स्थिति नीचे दिए गए लिंक पर देखी जा सकती है:
https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx

जल क्षेत्र की स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) और ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

गति बनाए रखने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी उपकरणों को एकीकृत किया है। जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और एक इंटरैक्टिव पब्लिक डैशबोर्ड प्रगति पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) यह सुनिश्चित करती है कि जारी किए गए प्रत्येक रुपये का हिसाब रखा जाए। त्वरित कार्यान्वयन के लिए, सरकार वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त चर्चा करती है और तकनीकी बाधाओं को तुरंत हल करने के लिए क्षेत्र के फील्ड लिए बहु-अनुशासनात्मक टीमों को तैनात करती है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली (आरआरआर) के कार्यान्वयन को कोई वित्तीय और प्रशासनिक बाधा प्रभावित नहीं कर रही है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों की एसएमआई और आरआरआर के कार्यान्वयन के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी परियोजनाओं के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय उच्च-स्तरीय समीक्षाओं के माध्यम से कठोर निगरानी रखता है। भौतिक और वित्तीय प्रगति को एक समर्पित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, जिससे कार्यान्वयन के मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित होता है। वित्तीय अनुशासन एक मुख्य प्राथमिकता है, जिसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल द्वारा समर्थित किया गया है, जिसे 2023-24 में निधि प्रवाह की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक लेखा परीक्षित व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करें और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अनिवार्य समवर्ती मूल्यांकन करवाएँ।

इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) (2021-26) ₹4,100 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी है। पिछले पांच वर्षों में, ₹1,372.15 करोड़ जारी किए गए हैं, जिससे 5.13 मिलियन हेक्टेयर और 54.83 मिलियन लोगों की रक्षा करने वाली 431 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। वर्तमान में, कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कोई एसएमआई या आरआरआर योजना सक्रिय नहीं है।

***

अनुबंध

जल आपूर्ति योजनाओं से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दे के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3321 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के डब्ल्यूबी घटक के एसएमआई और आरआरआर के तहत जारी/उपयोग की गई राज्य-वार केंद्रीय सहायता (सीए)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
1.	आंध्र प्रदेश					9.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.73	41.95	138.70	77.27	171.74
3.	असम	275.20	71.54	52.09	125.03	150.55
4.	बिहार	8.62	11.76	7.78		12.48
5.	गुजरात		3.16	2.57		
6.	हिमाचल प्रदेश	60.31	40.50	142.30	38.63	99.25
7.	कर्नाटक		30.00	37.50	37.50	111.53
8.	मणिपुर	75.98	26.46	23.55		26.79
9.	मेघालय	100.47	46.52	74.21	57.09	51.79
10.	मिजोरम	4.66		0.81		4.42
11.	नागालैंड	40.89	21.01	92.71	57.81	23.09
12.	ओडिशा		11.10	56.25	46.67	57
13.	राजस्थान		9.30	10.46	35.99	40.5
14.	सिक्किम	9.71	12.88	29.25	9.40	43.89
15.	तमिलनाडु	17.43	27.70	49.60	26.98	41.91
16	उत्तराखंड	29.63	17.20	93.40	76.00	48.68
	कुल	**765.63**	**371.08**	**811.19**	**588.37**	**893.00**

*मूल स्वीकृति